GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

F6.(257)/Pari/Tax/Hqrs/11/6-Q Jaipur, Dated:-14.11.2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 4B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), and in supersession of this department's notification No. F6.(96)/Pari/Tax/Hqrs/III/6-O dated 01.08.2007, as amended from time to time, the State Government hereby prescribes the rate of special road tax on stage carriages of the State (excluding those owned by a fleet owner or those plying exclusively within the area of Municipality or Urban Improvement Trust or both or sub-urban routes or rural routes) specified in column number 1 of the table given below, at the rates specified against each in column number 2 of the said table:-

TABLE

Description of Transport Vehicle	**Monthly rate of Special Road Tax**
1.	**2.**
Stage carriage vehicles excluding those owned by a fleet owner or those plying exclusively within the area of municipality or U.I.T. or both or sub-urban routes or rural routes,-	
1. when purchased as chassis-	
(a) distance required to be covered by the service in a day upto 150 Km.	0.490% of the cost of chassis.
(b) for every additional 25 Km. or part thereof required to be covered by the service in a day.	16.66 % of the tax calculated for distance upto 150 Km. as above.
2. when purchased as a vehicle-	
(a) distance required to be covered by the service in a day upto 150 Km.	0.340% of the cost of vehicle.
(b) for every additional 25 Km. or part thereof required to be covered by the service in a day.	16.66 % of the tax calculated for distance upto 150 Km. as above.

शासन उप सचिव (मु.)

Provided that:-

(i) in case of 3 wheeled vehicles or four wheeled vehicles having seating capacity upto 30 including driver and conductor plying up to 40 Km.in a day on the route lying between two municipalities and length of the route does not exceed 10 Km., Special Road Tax payable at the rate specified in column number 2 above shall not exceed Rs. 250/- and 700/-, respectively.

(ii) if any stage carriage as mentioned above is found plying any trip other than trip/trips allowed to it under the Motor Vehicles Act, 1988 and rules made there under, then such stage carriages shall be liable to pay additional Special Road Tax for the entire month at the rate specified against the category for which it is allowed for plying;

(iii) in case of vehicles obtaining the fresh permit, the tax shall be payable from the date of issue of permit on pro-rata basis in advance for the remaining period of the month and shall be deposited at the time of issue of permit;

(iv) in addition to tax payable under this notification there shall be paid by the owner or person having possession or control of a motor vehicle, any tax or penalty as was payable under the Act for any period prior to the coming into force of this notification at such rates as were applicable to such vehicles from time to time.

(v) the amount of Special Road Tax payable under this notification shall be subject to maximum of Rs. 25000/- (twenty five thousand) per month for one Motor Vehicle.

Explanation: The cost of the vehicle/chassis for computation of tax shall be as explained under rule 42 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951.

This notification shall come into force with immediate effect.

By Order of the Governor,

(Mahendra Soni)
Deputy Secretary to Government

F6.(257)/Pari/Tax/Hqrs/11/6-Q Jaipur, Dated:-14.11.2011

Copy forwarded to the follwing for information and necessary action:-

1. The Director, Government Central Press, Jaipur. The notification may kindly by published in the extra-ordinary Gazette dated 14-11-2011 and a copy thereof may be sent to this department.
2. Private Secretary to the Principal Secretary, Chief Minister,Rajasthan.
3. Private Secretary to the Transport Minister, Rajasthan.
4. Private Secretary to ACS (Finance), Rajasthan, Jaipur.
5. Private Secretary to Principal Secretary (Law), Law Department, Rajasthan, Jaipur.
6. Private Secretary to Transport Commissioner & Pr.Secretary, Rajasthan, Jaipur.
7. Accountant General (Commercial & Receipt Audit) Rajasthan, Jaipur.
8. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
9. Shri Sanjay Singhal, ACP for updation of departmental website.
10. All Regional/ Additional Regional/ Districl Transport Officers.
11. All Incharges, Tax Collection Centres of Transport Department, Rajasthan.
12. Guard File.

Deputy Secretary to Government

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.6(257)परि/टैक्स/एचक्यू/11/6-क्यू जयपुर, दिनांक :-14.11.2011

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. एफ.6(96)/परि/टैक्स/एच.क्यू/III/6ओ, दिनांक 01.08.2007 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ संख्यांक 1 में विनिर्दिष्ट राज्य की मंजिली गाड़ियों (किसी फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन या नगरपालिका या नगर सुधार न्यास या दोनों के क्षेत्र के भीतर या उप-नगरीय मार्गों या ग्रामीण मार्गों पर अनन्य रुप से चलने वाली से भिन्न) पर विशेष सड़क कर की दर उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर इसके द्वारा विहित करती है :-

सारणी

परिवहन यान का वर्णन	विशेष सड़क कर की मासिक दर
1	2
किसी फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन या नगरपालिका या नगर सुधार न्यास या दोनों के क्षेत्र के भीतर या उप-नगरीय मार्गों या ग्रामीण मार्गों पर अनन्य रुप से चलने वाली से भिन्न मंजिली गाड़ियां,-	
1. जब चैसिस के रूप में क्रय किये गये हों-	
(क)सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 150 कि.मी. तक।	चैसिस की लागत का 0.490 %
(ख)सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी प्रति अतिरिक्त 25 कि. मी. या उसके भाग के लिए ।	उपरोक्तानुसार 150 कि.मी. तक की दूरी के लिए संगणित कर का 16.66 %
2. जब वाहन के रूप में क्रय किये गये हों-	
(क)सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 150 कि.मी. तक।	वाहन की लागत का 0.340 %
(ख)सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी प्रति अतिरिक्त 25 कि. मी. या उसके भाग के लिए ।	उपरोक्तानुसार 150 कि.मी. तक की दूरी के लिए संगणित कर का 16.66 %

शासन उप सचिव (गृ.)
परिवहन विभाग
राजस्थान, जयपुर

परन्तुः–

(i) ड्राइवर और कण्डक्टर को सम्मिलित करते हुए 30 तक की सीट क्षमता वाले तीन पहिया यानों और चार पहिया यानों के मामले में, जो दो नगरपालिकाओं के बीच पड़ने वाले मार्गो पर एक दिन में 40 कि.मी. तक चलते हों और मार्ग की लम्बाई 10 कि.मी. से अधिक नहीं हो, उपर्युक्त स्तम्भ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट दरों पर संदेय विशेष सड़क कर क्रमशः 250/–रु. और 700/–रु. से अधिक नहीं होगा;

(ii) ऊपर यथा–उल्लिखित कोई भी ऐसी मंजिली गाड़ी यदि मोटर यान अधिनियम, 1988 और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसे अनुज्ञात ट्रिप/ट्रिपों से भिन्न किसी भी ट्रिप पर चलती हुई पायी जाये तो ऐसी मंजिली गाड़ी उस प्रवर्ग, जिसके लिए उसे चलने के लिए अनुज्ञात किया गया है, के सामने विनिर्दिष्ट दर से सम्पूर्ण मास के लिए अतिरिक्त विशेष सड़क कर संदत्त करने की दायी होगी;

(iii) नये परमिट अभिप्राप्त करने वाले यानों के मामले में कर, परमिट जारी करने की तारीख से मास की शेष कालावधि के लिए आनुपातिक आधार पर अग्रिम रुप से संदेय होगा और परमिट जारी किये जाने के समय जमा कराया जायेगा;

(iv) किसी मोटर यान के स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति जो इस अधिसूचना के प्रवृत होने के पूर्व की किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर संदत्त की जायेगी, जो समय–समय पर ऐसे यानों पर लागू थी;

(v) इस अधिसूचना के अधीन संदेय विशेष सड़क कर की रकम एक मोटर यान के लिए प्रतिमास अधिकतम रूपये 25000/– (रूपये पच्चीस हजार) के अध्यधीन होगी।

स्पष्टीकरण :– कर की संगणना के लिए यान/चैसिस की लागत वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के अधीन स्पष्ट की गयी है।

यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र सोनी)
शासन उप सचिव।

क्रमांक : एफ.6(257)परि/टैक्स/एचक्यू/11/6-क्यू
जयपुर, दिनांक :–14.11.2011

प्रतिलिपिः– निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 14.11.2011 को प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी, राजस्थान।
3. निजी सचिव, यातायात मंत्री जी, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (विधि), विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव।
7. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
9. श्री संजय सिंघल, ACP को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
10. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी।
11. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग, राजस्थान।
12. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव (मु.)

शासन उप सचिव
परिवहन विभाग
राजस्थान, जयपुर